दि जयपुर सैन्ट्रल को–ऑप० बैंक लि०, जयपुर

प्रशासक महोदय, बैंक द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या....., दिनांक .....

प्रस्ताव :– व्यापारियों हेतु कैश क्रेडिट लिमिट योजना अनुमोदित करने बाबत।

बैंक स्तर पर गठित कमेटी की सिफारिशानुसार बैंक में लागू '' व्यापारियों हेतु कैश क्रेडिट लिमिट योजना'' को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार योजना अनुमोदित की जाती है :–

1. **उद्देश्य :–** इस योजना का उद्देश्य व्यापारिक फर्मस, ट्रेडर्स आदि को व्यापारिक आवश्यकताओं एवं व्यवसाय वृद्धि हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकता हेतु नकद साख सुविधा उपलब्ध कराना है। बैंक द्वारा निम्न प्रकार की नकद साख सीमा उपलब्ध कराई जाएगी :–
   (a) दृष्टिबंधक साख सीमा (Hypothecation Cash Credit Limit) :– इस प्रकार की साख सुविधा व्यापारिक माल (Merchandise Goods) हेतु उपलब्ध कराई जाती है तथा सम्पत्ति एवं माल ऋणी के स्वामित्त्व में रहती है। ऋणी उक्त माल का सौदा करने के लिए स्वतंत्र होता है लेकिन बैंक का Hypothecated माल पर सामान्य प्रभार रहता है।
   (b) रहन साख सीमा (Pledge Cash Credit Limit) :– Pledge Cash Credit Limit स्वीकृति पर माल पर बैंक का ताला और चाबी द्वारा प्रभावी कब्जा रहता है।
2. **पात्रता :–** इस योजना के तहत नकद साख सीमा सुविधा ऋण शाखा क्षेत्र में स्थित उन छोटे व्यापारियों या साझेदारी फर्मों को मंजूर किया जाएगा जो कम से कम पिछले एक वर्ष से व्यापार कर रहे हो एवं जिनका Sale Tax Act के तहत रजिस्ट्रेशन हो। आवेदक को साख सुविधा स्वीकृति से पहले बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होगा।
3. **अधिकतम साख सुविधा :–** बैंक द्वारा गत तीन वर्षो के औसत टर्न ओवर का 20% अथवा अधिकतम रू. 25,00,000/– जो भी कम हो तक की साख सीमा स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे व्यापारी/फर्म जिन्हें व्यापार प्रारम्भ किए तीन वर्ष से कम समय हुआ है उन्हें गत एक अथवा दो वर्षो के औसत टर्न ओवर के 10% अथवा अधिकतम 10,00,000/– की सीमा तक साख सुविधा स्वीकृत की जा सकेगी।
4. **मार्जिन :–** दृष्टिबंधक साख सीमा में 40% एवं रहन की दशा में 25% मार्जिन रहेगा अर्थात गत माह के स्टॉक स्टेटमेन्ट के अनुसार उपलब्ध माल का दृष्टिबंधक की दशा में 60% एवं रहन की दशा में 75% तक ही आहरण स्वीकार किया जावेगा। माल की कीमत का आंकलन क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य में जो भी कम हो के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक माह के स्टॉक के मूल्यांकन के आधार पर 15 तारीख से आगामी माह की 14 तारीख तक आहरण सीमा नियत की जाएगी।
5. **साख सीमा अवधि :–** इस योजना के तहत नकद साख सीमा अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की जावेगी जो आगामी वर्ष की 30 जून तक रहेगी। स्वीकृत तिथि 1 जनवरी से 29 जून के मध्य होने की स्थिति में लिमिट आगामी वर्ष की 30 जून तक स्वीकृत की जावेगी अर्थात लिमिट की नवीनीकरण अवधि ऐसे मामले में 1 वर्ष से अधिक हो सकेगी। उक्त साख सीमा खाते को प्रतिवर्ष आगामी वर्ष हेतु नवीनीकरण कराना होगा एवं यदि बैंक द्वारा दिनांक 30 जून तक साख सीमा का पुनः नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो उक्त अवधि के पश्चात खाते में कोई आहरण स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं खाते को अवधिपार माना जाएगा। किन्तु यदि ऋणी सदस्य द्वारा दिनांक 30 जून तक शाखा में नवीनीकरण हेतु

आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज (31 मार्च के अन्तिम लेखें, स्टॉक सूची आदि) प्रस्तुत कर दिया जाता है एवं बैंक द्वारा किसी कारणवश 30 जून तक नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो 30 जून के पश्चात नवीनीकरण तिथि तक खाते में कोई आहरण स्वीकार नहीं किया जावेगा किन्तु खाते को अनावधिपार ही माना जावेगा।

6. **ब्याज दर :–** नकद साख सीमा पर भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के निर्देशों के तहत समय–समय पर बैंक संचालक मण्डल द्वारा नियत की गई ब्याज दर वसूल की जावेगी। वर्तमान में प्रचलित दर @ 13% वार्षिक है। दैनिक बकाया राशि के आधार पर मासिक रूप से ब्याज की गणना की जाकर प्रति माह अन्तिम कार्य दिवस को खाते में मूल (Principal) राशि में डेबिट की जावेगी। बैंक द्वारा अतिदेय राशि (Overdue Amount) पर @3% वार्षिक दर से निर्धारित ब्याज की सामान्य दर के अलावा दंडनीय ब्याज (Penal Interest) वसूल किया जावेगा।

7. **ऋण सुरक्षा :–** बैंक द्वारा नकद साख सीमा निम्नलिखित सुरक्षा के आधार पर प्रदान की जावेगी :–

(a) प्राथमिक सुरक्षा के रूप में फर्म के माल (Stock) जिसके लिये दृष्टिबंधक साख सीमा स्वीकृत की गई है, पर बैंक का हाईपोथिकेशन द्वारा सामान्य प्रभार रहेगा।

(b) स्वीकृत साख सीमा की न्यूनतम 1.5 गुना (150%) मूल्य की अचल सम्पत्ति बैंक में समपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) के रूप में साम्य बंधक (Equitable Mortgage) रहेगी। यदि मूल ऋणी साम्य बंधक के लिए इस तरह की सम्पत्ति प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है तो बैंक जमानतदार से समपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) स्वीकार कर Mortgage कर सकता है। सम्पत्ति का शीर्षक बैंक द्वारा मान्य विधि सलाहकार द्वारा जांच किया जाएगा एवं सम्पत्ति का मूल्यांकन बैंक द्वारा अधिकृत मूल्यांकनकर्त्ता (Valuer) द्वारा किया जाएगा। विधिक सलाहकार एवं मूल्यांकनकर्ता को देय शुल्क आवेदक द्वारा वहन की जावेगी।

(c) उक्त योजनान्तर्गत जमानतदार की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु जिन आवेदकों द्वारा समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में स्वयं की सम्पत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी उन्हें बैंक को स्वीकार्य एक व्यक्ति की जमानत दिलवानी होगी एवं जमानतदार को बैंक का नोमिनल सदस्य बनाना होगा। जमानतदार की हैसियत का आंकलन शाखा स्तर पर किया जावेगा एवं जमानतदार की हैसियत स्वीकृत साख सीमा की 1.5 गुना होनी आवश्यक होगी।

(d) ऐसे व्यापारी जो गत तीन वर्षो से शाखा क्षेत्र में व्यापार कर रहे हो एवं उनका किसी भी बैंक में चालू खाता हो, ऐसे व्यापारियों को उनके लेन–देन के आधार पर रू. 2,00,000/– तक की साख सीमा (C.C. Limit) बिना किसी समपार्श्विक प्रतिभूति के बैंक को स्वीकार्य एक हैसियत युक्त जमानतदार की व्यक्तिगत जमानत (Personal surety) के आधार पर स्वीकृत की जा सकेगी।

(e) समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में कृषि भूमि होने की दशा में आवेदक द्वारा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में निर्धारितानुसार पंजीयन शुल्क जमा कराया जाकर भूमि का भार बैंक के पक्ष में दर्ज करवाया जावेगा।

(f) व्यापारिक फर्म के मालिक अथवा साझेदारों से बकाया ऋण, ब्याज एवं अन्य प्रभारों की चुकौती हेतु स्वयं के बचत खाते के 5 अग्रिम चैक बैंक के पक्ष में भरवाकर प्राप्त किए जावेंगे।

8. **बीमा :–**

(a) ऋणी द्वारा दुकान/गोदाम में स्थित Pledge/Hypothecated किए गए माल या सम्पत्ति का पूर्ण रूप से आग/भूकम्प/बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं तथा

दंगा या चोरी के विरूद्ध आवश्यक जोखिम हेतु बैंक के संयुक्त नाम से बीमा कराना आवश्यक होगा। माल या सम्पत्ति के पूर्ण मूल्य का बीमा आवश्यक होगा। बीमा प्रीमियम ऋणी द्वारा वहन किया जावेगा।

(b) व्यक्तिगत दुघर्टना बीमा योजनान्तर्गत फर्म के प्रोपराईटरों/साझेदारों का बीमा अनिवार्य होगा।

(c) सहकार जीवन सुरक्षा योजनान्तर्गत ऋणी की पर्याप्त टेन्जिबल सिक्योरिटी उपलब्ध होने के कारण ऐच्छिक आधार पर बीमा करवाया जावेगा।

9. **कैश क्रेडिट खाते में पुनर्भुगतान :–** योजनान्तर्गत स्वीकृत खाते की प्रकृति साख सीमा के रूप में होने के कारण खाते में आहरण सीमा/स्वीकृत लिमिट तक चालू खाते (Current A/c) के रूप में लेनदेन किया जा सकेगा किन्तु ऋणी को अपनी Sale की न्यूनतम 50% राशि उक्त साख सीमा खाते में जमा करानी होगी।

10. **प्रसंस्करण शुल्क (Processing fee):–** योजनान्तर्गत ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृत/नवीनीकृत राशि के 0.50 प्रतिशत की दर से (न्यूनतम 1000.00 रूपये) प्रसंस्करण शुल्क जमा कराना आवश्यक होगा। उक्त राशि में से ऋण आवेदन पत्र के साथ रू. 1000/– जमा कराने होंगे जो वापिस देय नहीं होंगे। उक्त प्रकार प्राप्त प्रोसेसिंग फीस पर Service Tax प्रचलित दर अनुसार प्राप्त किया जावेगा।

11. **अन्य :–**

(a) बैंक द्वारा चालू खाते के अनुसार नियत Folio charge/Service charge अर्द्धवार्षिक/ वार्षिक खाताबन्दी के समय वसूल किए जावेंगे।

(b) रहन साख सीमा के मामले में बैंक स्टाफ द्वारा माल का कब्जा लेने/Delivery हेतु गोदाम पर जाने पर बैंक नियमानुसार देय कन्वेन्स चार्ज ऋणी के साख सीमा खाते में डेबिट किए जावेंगे।

(c) साख सीमा के प्रत्येक नवीनीकरण पर समस्त दस्तावेज नवीन ही प्राप्त किये जावेंगे।

(d) ऋणी को प्रत्येक माह का स्टॉक स्टेटमेन्ट आगामी माह की 10 तारीख तक बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

(e) यदि खाते में लगातार स्वीकृत/आहरण सीमा से अधिक बकाया रहता है एवं ऋणी द्वारा खाते मे पर्याप्त लेनदेन नहीं किया जाता है तो शाखा द्वारा ऋणी को लिखित में सूचित किया जावेगा एवं तत्पश्चात् भी खाता नियमित नहीं होने पर एकमुश्त वसूली हेतु अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही अपनाई जावेगी।

(जितेन्द्र प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

(कृष्ण कुणाल)
प्रशासक